न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 26/2024 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2024/73

उनवान

1. श्रीमति गुलाब कुँवर पुत्री स्व. वदनसिंहजी एवं पति जोरावरसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी करवा छपनीया तहसील आसपुर जिला डुंगरपुर।
2. श्रीमति खुमाण कुंवर पुत्री स्व. वदनसिंहजी एवं पति मोहनसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी करवा छपनीया तहसील आसपुर जिला डुंगरपुर।
3. श्रीमति दौली कुँवर पुत्र स्व. वदनसिंहजी एवं पति झालमसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी भबराना तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।
4. श्रीमति नवल कुँवर पुत्री स्व. वदनसिंहजी एवं पति गुलाबसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी भबराना तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।

—प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्रीमति जसु कुँवर पति धुलसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर, बरोडा तहसील सलूम्बर जिला—सलुम्बर ।
2. श्रीमति किशोर कुंवर पत्नी स्व. किशोरसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर
3. श्री धुलसिंह पुत्र स्व. हिम्मतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर
4. श्री केसरसिंह पुत्र स्व. हिम्मतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर
5. श्रीमती चमनी कुंवर बेवा दोलत सिंह जी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलुम्बर जिला—सलुम्बर ।
6. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. दोलत सिंह जी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलुम्बर जिला—सलुम्बर ।
7. श्री रूप सिंह पुत्र स्व. दोलत सिंह जी राजपूत उम्र बालिग निवासी प्रेमनगर तहसील सलुम्बर जिला—सलुम्बर ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः—05—05—2026

उपस्थितिः— श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता — प्रार्थीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता— विपक्षी सं. 1 से 4 तक
विपक्षी सं. 5 से 7 — अनुपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि—

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1. कि प्रार्थीगण वादीगण ने प्रतिवादीगण विपक्षीगण के विरूद्ध इसी न्यायालय मे एक वाद बाबत घोषणा कराने खातेदारी हक पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का तारिख 21–08–2023 को पेश किया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है।

2. प्रार्थी एंव विपक्षीगण एक ही खानदान के है जिनका सजरा खानदान प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। कि मूल पुरुष रतनसिंह के समय की कृषि भूमि मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर में स्थित है। मूल पुरुष रतनसिंहजी निधन हो चुका है उनके 2 दो पुत्र रूपसिंह एवं गौतमसिंह पैदा हुए दोनो का निधन हो चुका है। रूपसिंहजी के एक पुत्र पैदा हुआ जो वदनसिंहजी थे। वदनसिंहजी का भी निधन 1983 में हो गया जिनके वारिश उनकी विधवा श्रीमति अमृत कुंवर जिनका भी निधन सन् 2013 में हो गया है एवं वदनसिंहजी की 4 चार पुत्री चारो वादीगण है एवं अमृत कुंवर के निधन के बाद अमृत कुंवर की वारिश उनकी 4 चारो वादीगण बेटिया है। स्व. रतनसिंहजी का पुत्र गौतमसिंह का भी निधन हो गया गया उनका पुत्र शिवसिंह का भी निधन हो गया शिवसिंह के 3 तीन पुत्र पैदा हुए जो किशोरसिंह, हिम्मतसिंह एवं दौलतसिंह थे, तीनों का निधन हो गया है इसलिये किशोरसिंह के कोई औलाद नही है सिर्फ विधवा प्रतिवादी नं. 2 दो श्रीमति किशोर कुंवर है एवं हिम्मतसिंह के 2 दो पुत्र पैदा हुए जो धुलसिंह प्रतिवादी नं. 3 तीन है एवं दुसरा पुत्र केसरसिंह प्रतिवादी नं. 4 चार है। वादीगण की स्व. माता श्रीमति अमृत कुंवर से उनकी अधिक उम्र का नाजायज लाभ उठाकर स्व. वदनसिंहजी के समय की कृषि भूमि विरासत से प्राप्त हुई उक्त पूरे हिस्से की वारिश 4 चारो वादीगण थी उनसे पुरा 1/2 आधा हिस्सा को प्रतिवादी नं. 3 तीन ने अपनी पत्नी श्रीमति जसु कुंवर के नाम अवैद्य विक्रय पत्र लिखवाया जो प्रतिवादी नं. 1 एक है तथा हिम्मतसिंह का छोटा पुत्र केसरसिंह प्रतिवादी नं. 4 चार है तथा शिवसिंह का छोटा पुत्र दौलतसिंह का निधन हो गया जिनके 2 दो पुत्र एवं विधवा वारिश है। श्रीमति चमनी विधवा प्रतिवादी नं. 5 पॉच है एवं लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रतिवादी नं. 6 छः है तथा रूपसिंह पुत्र प्रतिवादी नं. 7 सात है यही स्व. रतनसिंहजी के वारिश है।

3. मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का बरोडा तहसील एवं जिला सलूम्बर में निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है जिसमें 1/2 आधा हिस्सा 4 चारो वादीगण एवं उनकी मृत माता स्व. अमृत कुंवर का है एवं 1/2 आधा हिस्सा स्व. शिवसिंहजी के वारिश प्रतिवादी नं. 2 दो से लगाकर 7 सात का है। प्रतिवादी नं. 1 एक श्रीमति जसु कुंवर के नाम वादीगण का 1/2 आधा हिस्सा अवैद्य रूप से दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 क अनुसार मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का बरोडा खाता संख्या 104 कुल किता 38 रकबा 7.67 हैक्टेयर एवं कलम संख्या 2 ख में विर्णत भूमि मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का बरोडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 कुल किता 01 रकबा 1.73 हैक्टेयर है।

कि वाद पत्र की कम संख्या 2 क एवं 2 ख में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में पक्षकारों के निम्न प्रकार हिस्से है –

वाद पत्र की कम संख्या 2 क में वर्णित कृषि भूमि में पक्षकारों के हिस्से –

4 चारो वादीगण एवं इनकी स्व. माता श्रीमति अमृत कुंवर का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/2 आधा इसलिये अमृत कुंवर को स्व. वदनसिंहजी के निधन के बाद विरासत से प्राप्त हुआ 1/2 X 1/5 = 1/10

वादीगण 4 चारो स्व. वदनसिंहजी की बेटियों का हिस्सा 1/2 X 4/5 = 4/10

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादी नं. 3 तीन धुलसिंह एवं प्रतिवादी नं. 4 चार केसरसिंह का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/6

प्रतिवादी नं. 1 एक श्रीमति जसु कुंवर का कोई हिस्सा नही यदि तारीख 16–7–2010 को स्व. अमृत कुंवर बेवा वदनसिंह से खरीदना साबित कर देती है तो 1/2 X 1/5 = 1/10 है प्रतिवादी नं. 1 एक का होगा।

प्रतिवादी नं. 5 पॉच, 6 छः एवं 7 सात का संयुक्त रूप से हिस्सा = 1/6

वाद पत्र की कम संख्या 2 (ख) में वर्णित भूमि में पक्षकारों के हिस्से –

4 चारो वादीगण का हिस्सा = 1/2 X 4/5 = 4/10

वादीगण की स्व. माता अमृत कुंवर का हिस्सा = 1/10

यदि अमृत कुंवर से खरीदना प्रतिवादी नं. 1 एक जसु कुंवर साबित करे तो अमृत कुंवर का हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक को मिलेगा 1/10

प्रतिवादी नं. 2 दो किशोर कुंवर का हिस्सा = 1/6

खातेदार दौलतसिंह पुत्र शिवसिंहजी का निधन हो गया है उनके वारिश प्रतिवादी नं. 5 पाँच से 7 सात का हिस्सा = 1/6

खातेदार हिम्मतसिंह पुत्र शिवसिंह का भी निधन हो गया है इसलिये इनके वारिश प्रतिवादी नं. 3 तीन एवं 4 चार का हिस्सा 1/6

4. कि वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक है एवं वादीगण के कोई सगा भाई नही था इसलिये खातेदार एवं वादीगण के पिता स्व. वदनसिंह पुत्र रूपसिंहजी का सन् 1983 में निधन होने पर वादग्रस्त भूमि में उनके 1/2 आधे हिस्से की मालिक उनकी विधवा श्रीमति अमृत कुंवर जो वादीगण की माता है वह एवं 4 चारो वादीगण जो स्व. वदनसिंहजी की बेटिया होकर क्लासवन की वारिश है एकमात्र मालिक खातेदार काश्तकार होकर काबिज हो गई परन्तु प्रतिवादी नं. 1 एक के पति प्रतिवादी नं. 3 तीन धुलसिंह ने बिना वादीगण को सूचना दिये चुपचाप नामान्तरण ग्राम पंचायत बरोडा ने भी बिना सूचना दिये यह कहकर वादीगण की माता श्रीमति अमृत कुंवर के नाम नामान्तरण स्वीकृत कराया कि स्व. वदनसिंहजी की अमृत कुंवर अकेली वारिश है विरासत की जांच नही की थी इसलिये भूमि वादीगण की माता अकेली के खाते वाद पत्र की कम संख्या 2 क एवं 2 ख में वर्णित भूमि दर्ज हुई थी उसका नाजायज लाभ उठाकर तारीख 16–7–2010 को 837000/– रूपये किमत बताकर बिना किसी प्रतिफल दिये धोखे से स्व. वदनसिंहजी का पुरा 1/2 आधा हिस्सा वादीगण की स्व. माता अमृत कुंवर के नाम था उसका विकय पत्र प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम लिखवा लिया। प्रतिवादी नं. 1 एक जसु कुंवर के खाते में तारीख 16–7–2010 को एवं आज भी 837000/–रूपये नही थे एवं नही आज भी कभी किसी बैंक खाते में रहे है एवं नहीं थे इसलिये प्रतिवादी नं. 1 एक ने स्व. अमृत कुंवर से तारीख 16–7–2010 को लिखवाया विक्रय पत्र पूर्ण रूप से धोखे से लिखवाया गया विक्रय पत्र है जो अवैद्य है उससे उसे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है एवं स्व. अमृत कुंवर का वादग्रस्त कृषि भूमि में मात्र 1/10 एक बटा दस हिस्सा था यदि स्व. अमृत कुंवर इससे अधिक वादीगण का 4/10 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक को विकय करना चाहती थी तब भी उन्हे विक्रय करने का कानून में कोई अधिकार प्राप्त नही था इसलिये 4/10 हिस्से तक प्रतिवादी नं. 1 एक के पक्ष में लिखा विकय पत्र अवैद्य एवं अप्रभावी होने से वादीगण उक्त विक्रय पत्र 4/10 हिस्से तक अवैद्य घोषित कराने का यह वाद पेश कर रही है।

5. वादीगण अपने खाते एवं कब्जे की भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने के लिये प्रथम बार पटवारी हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर के पास अभी हाल तारीख 10–8–2023 को गये

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

तो पटवारी हल्का ने मौजा प्रेमनगर का रेकार्ड देखकर बतलाया कि वादीगण के खाते कोई भूमि नही है एवं आप जिस खाते में अपनी 1/2 आधी भूमि होना कह रही है वह पूरी भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक श्रीमति जसुकुंवर पति धुलसिंह राजपूत निवासी प्रेमनगर के खाते दर्ज है तथा उक्त पूरी भूमि पर HDFC बैंक डाल चौराया सलूम्बर से ऋण लेकर उक्त भूमि रहन रखी है जिसका नामान्तरण संख्या 166 तारीख 21–9–2022 को स्वीकृत हो चुका है उसके बाद तारीख 11–8–2023 को विक्रय पत्र की प्रमाणित नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर एवं आवश्यक राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 4/10 हिस्सा है उसे प्रतिवादी नं. 1 एक ने अवैद्य रूप से खरीदा है एवं चुपचाप धोखे से बैंक के गिरवे रखा है इसलिये उक्त विक्रय पत्र का 1/2 हिस्से में से 4/10 हिस्सा तक का विक्रय पत्र अवैद्य एवं अप्रभावी घोषित कराने का वादीगण यह वाव पेश कर रही है तथा बैंक ऋण पुरी 1/2 आधी भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 एक ने लिया है उसकी अदायगी की जिम्मेदारी प्रतिवादी नं. 1 एक की है।

6. कि वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 एक एवं उसके पति प्रति.नं. 3 तीन से वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 4/10 हिस्सा अलग कर बंटवाडा कराने बाबत अभी हाल पुछा तो प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा होना एवं बंटवाडा करने से तारीख 15–8–2023 को साफ मना कर दिया इसलिये अब वादीगण को मजबुर होकर यह पाती बंटवाडा घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध पेश करना पड रहा है।
7. कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एव यदि तुरन्त विपक्षी नम्बर 01 एक श्रीमती जसु कुँवर के नाम इसके पति प्रतिवादी नम्बर 03 तीन घुल सिंह ने पहले वादीगण के पिता स्व. वदन सिंह के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि का वादीगण की स्व. माताजी अमृत कुँवर अकेली को वारिश बतलाकर स्व. पिता का पुरा हिस्सा का नामान्तरण माता के नाम स्वीकृत करा कर इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 क एंव ख में वर्णित भूमि में जितना हिस्सा 4/10 पुरा हिस्सा, वादीगण की माता गुलाब कुँवर के नाम कराकर बिना कोई प्रतिफल दिये तारिख 16–07–2010 को 83,7000/– अक्षरे आठ लाख सेतीस हजार रूपयो मे विपक्षी नम्बर 01 एक के नाम विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया जो पूर्ण रूप से अवेद्य है। उक्त खाता नम्बर 60 की एंव खाता नम्बर 102 की भूमि मे वादीगण के स्व. पिता का 1/2 आधा हिस्सा था उस मेसे 1/2 X 4/5=4/10 चारो वादीगण का है एव 1/10 हिस्सा ही वादीगण की माता का था तथा माता मात्र 1/10 हिस्सा ही विपक्षी नम्बर 01 एका को विकय कर सकती थी, उससे अधिक विक्रय किया गया हिस्सा पूर्ण रूप से अवेद्य है एवं वादीगण द्वारा यह वाद पेश होने के बाद विपक्षी नम्बर 01 अपने पति विपक्षी नम्बर 03 तीन से मिलकर वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द करने का आमादा है इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध तुरन्त प्रभाव से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करानी जरूरी होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है वरना वादीगण का यह वाद पेश करने का प्रयोजन ही निरर्थक हो जायेगा एंव अनके वाद लाने पड़ेगे एव वादीगण को जो क्षति होगी उसका रूपयो पैसी में मूल्याकन नही हो पायेगा। विपक्षी नम्बर 01 व 03 ने मिलकर उक्त कृषि भूमी में पक्का एंव कच्चा निर्माण कर वादग्रस्त भूमि को बर्बाद करना चाहते है।
8. अतः प्रार्थना है कि असल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाईज जावें कि विपक्षी नम्बर 01 व 03 निम्न कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा एंव पक्का निर्माण कार्य नही करे एंव न ही भूमि को बर्बाद करे इस प्रार्थना पत्र की कम संख्या 03क में वर्णित भूमि किता–38 रकबा 7.67 है. लगानी 27.61 रूपये मे वर्तमान खाता मे विपक्षी नम्बर 01 के नाम आधा 1ध्2 हिस्सा दर्ज है

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उसका मेसे 1 / 2 X 4 / 5= 4 / 10 चार बंटा दस हिस्सा चारो प्रार्थीगण का है। उक्त भूमि विपक्षी नम्बर 01 एक प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में किसी प्रकार की एंव उपयोग व उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करे एंव न ही भूमि किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरीत करें ना ही कृषि भूमि की किस्म परिर्वतन करावें एंव ना ही कृषि भूमि बर्बाद करें एंव ना ही उक्त कृत्यु अपने परिजन, नोकरो एंपव मजदुरो से करावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 5 से 7 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अंकित किया कि प्रार्थना प्रार्थीगण सही है एवं मुल वाद के निर्णय तक इस प्रकरण में किसी प्रकार के हस्तान्तरण, निर्माण, भूमि बर्बाद नहीं करे, इसके लिये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना जरूरी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 4 तक की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर रहे जिन्हाने जवाब पेश कर अंकित किया कि–

1. प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 मे प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा नं. 47 / 2023 प्रस्तुत करना स्वीकार है किन्तु प्रार्थीगण का वाद आधारहिन, अवधी परे व बिना किसी कब्जेयाबी की दाद के होने से अवश्य ही खारिज होगा।
2. कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने सजरा खानदान अधुरा प्रस्तुत किया है, विपक्षी संख्या 01 जसुकुँवर, विपक्षी संख्या 03 धुलसिंह, विपक्षी संख्या 04 केसरसिंह के अलावा हिम्मतसिंहजी की पत्नि श्रीमती धुलीकुँवर, हिम्मतसिंह की पुत्री सुरजकुँवर पत्नि पहाडसिंह निवासी एमनिया पाडला, श्रीमती पदमकुँवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नि गमेरसिंह निवासी सलावता, श्रीमती नाथीकुँवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नि घुलसिंह राजपुत निवासी भबराना एवं श्रीमती गुलाबकुँवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नि करणसिंह राजपुत निवासी भबराना भी वारीस है जिन्हे पक्षकार नही बनाया है इसलिये भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अधुरा होने से खारिज योग्य है।
3. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 अस्वीकार है। प्रार्थीयागण के पिता स्व. उदनसिंहजी की मृत्यु होने पर चारो प्रार्थीगण ने आपसी सहमती से क्योकि स्व. वदनसिंहजी की मृत्यु के समय उनकी शादी को करीब 35 से 45 वर्ष हो चुके थे और सभी प्रार्थीगण अपने ससुराल ने अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी, शादी के बाद से चारो प्रार्थीयागण का वादग्रस्त भूमी पर या उसके किसी भी हिस्से पर किसी तरह का कोई कब्जा, कास्त आज तक नही रहा है. स्व. श्री वदनसिंहजी की मृत्यु के बाद चारो प्रार्थीयागण ने आपसी सहमती से अपनी माता श्रीमती अमृतकुँवर के नाम राजस्व रेकार्ड में नाम अंकन कराया। स्व. श्री वदनसिंहजी की मृत्यु सन् 1983 ने आज से 41 वर्ष पूर्व हो गई थी उसके बाद भूमी श्रीमती अमृतकुँवर के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी तथा कब्जे काश्त में भी श्रीमती अमृतकुँवर के ही थी। प्रार्थीगण चारो तथा श्रीमती अमृतकुँवर पाँचो ने मिलक वादग्रस्त भूमी का विक्रय ईकरार विपक्षी संख्या 01 के साथ किया, वक्त ईकरार चारो प्रार्थीयागण भी थी ओर लेन–देन भी चारो की उपस्थिति में ओर गाँव के मोतबीर लोगो की उपस्थिति में हुआ उसके बाद दिनांक 16–07–2010 को श्रीमती अमृतकुँवर ने अपने खाते मौझा प्रेमनगर पटवार मण्डल बरोडा मे स्थित कुल किता 38 रकबा 7.67 हेक्टर में से अपना पुरा–पुरा हिस्सा तथा अन्य दुसरा खाता आराजी नं. 760 / 1 रकबा 1.73 हेक्टर भूमी मे से श्रीमती अमृतकुँवर ने अपना पुरा–पुरा हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र विपक्षी संख्या 01 को विक्रय हस्तान्तरित कर दिया जिसके आधार पर भूमी नामान्तरण संख्या 60 से क्रयशुदा भूमी श्रीमती अमृतकुँवर के नाम से हटकर राजस्व

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रेकार्ड मे विपक्षीया संख्या 01 के दर्ज हो गई तभी से विपक्षीया आज तक बेरोकटोक काबिज है, विपक्षीया नं. 01 ने मौके पर भूमी मंगरीनुमा थी जिसे ट्रेक्टर, जेसीबी आदि से श्री देवीसिंह निवासी सलावता से लाखो रूपये चुकाकर जब दिनांक समतल कराई तथा मौके पर कच्ची तथा पक्की पत्थरो की बाउण्ड्री बना रखी है, खरीद समय से ही बाउण्ड्री बनाकर लोहे का गेट भी लगा रखा है एवं विक्रेता श्रीमती अमृतकुँवर जो कि प्रार्थीगण की माता है उनकी मृत्यु सन् 2013 मे हो चुकी है, उक्त सारी जानकारी प्रार्थीयागण जानती 16–07–2010 को विक्रयपत्र श्रीमती अमृतकुँवर ने विपक्षीया संख्या 01 के पक्ष मे सम्पादित किया उस समय प्रार्थीया नं. 03 दोलीकुँवर तथा प्रार्थीया संख्या 01 गुलाबकुँवर का पुत्र राजेन्द्रसिंह ओर गाँव के 8–10 आदमी भी मौजुद थे जिन सभी की उपस्थिति मे विक्रयपत्र सम्पादित हुआ था, वादग्रस्त भूमी का सौदा प्रार्थीयागण की उपस्थिति मे हुआ तथा प्रतिफल भी प्रार्थीयागण ने विपक्षी संख्या 01 से प्राप्त किया किन्तु अब प्रार्थीयागण के नियत में खोट आ गई है इसलिये उन्होने यह आधारहिन झुठ–मुठ का वांद प्रस्तुत किया है, वादग्रस्त भूमी मे प्रार्थीयागण किसी भी तरह की कोई भूमी या कोई डिकी या सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थीयागण का कोई कब्जा भी नही है ओर स्व श्री वदनसिंहजी की मृत्यु बाद विरासत का नामान्तरण दिनांक 28–07–1998 को श्रीमती अमृतकुँवर के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हुआ जिसकी जानकारी प्रार्थीयागण को भी थी ओर अब 26–27 साल बाद प्रार्थीयागण आधारहिन का यह वाद लेकर आई है जिसके आधार पर भी प्रार्थीयागण का वाद खारिज योग्य है। मौके पर विपक्षी संख्या 01 ने खरीद के बाद खुला कुँआ भी खोद रखा है जिस पर 3 फेज कनेक्शन भी प्रार्थीया के पक्ष में जारी है, मौके की स्थिति के फोटो भी जवाब के साथ विपक्षीया पेश कर रही है जिससे भी साबित होता है कि वादग्रस्त भूमी पर आज तक प्रार्थीयागण का कोई हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त नहीं है । प्रार्थीयागण अगर कोई दाद चाहती है तो उन्हें नामान्तकरण संख्या 71 फैसल दिनांक 28–07–1998 की अपील करनी चाहिये थे जो आज तक नहीं की है तथा वादग्रस्त भूमी नामान्तरण संख्या 60 से भूमी विपक्षीया संख्या 01 खाते राजस्व रेकार्ड में खरीद समय सन् 2010 से है इसलिये भी प्रार्थीयागण का प्रार्थनापत्र अवधी परे, आधारहिन, बिना कब्जे के प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

4. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 04 अस्वीकार है । वादग्रस्त भूमी मे स्व. वदनसिंहजी का जो भी हिस्सा था वो उनके स्वर्गवासी होने के बाद सन् 1998 मे श्रीमती अमृतकुँवर के नाम दर्ज हुआ जिन्होने सन् 2010 मे पुरा–पुरा हिस्सा प्रार्थीयागण की सहमती व उपस्थिति में विपक्षीया संख्या 01 को विक्रय कर दिया जिस पर विपक्षीया ने खरीद समय कब्जा प्राप्त कर भूमी पर लाखो रूपये खर्च कर भूगी को उपजाउ बनाया है ओर आज तक बेरोकटोक उपयोग, उपभोग करती आ रही है जिसमे प्रार्थीयागण का कोई हक, हिस्सा न तो है न बनता है, सारे तथ्य प्रार्थीयागण की नियंत खराब होने तथा उनकी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद विपक्षी संख्या 01 से अवैध वसुली की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

5. प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 05 अस्वीकार है। वादग्रस् भूमी आज से 41 वर्ष पूर्व से एकमात्र स्वामी, मालिक श्रीमती अमृतकुँवर थी जिसने सन् 2010 मे विपक्षीया संख्या 01 को प्रार्थीयागण की सहमती से व उनकी उपस्थिति मे अपना पुरा–पुरा हिस्सा विपक्षीया संख्या 01 को विक्रय कर दिया। विपक्षीया संख्या 01 द्वारा कोई राशी अदा नही कर, धोखे से विक्रयपत्र सम्पादित कराने की बात निराधार व सत्यता से परे है क्योकि भूमी विक्रय करने के बाद करीब 3 वर्ष तक श्रीमती अमृतकुँवर जीवित थी, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आपत्ति जरूर करते एवं श्रीमती अमृतबाई का स्वर्गवास आज से करीब 11–12 वर्ष पूर्व हो चुका है, ओर अब प्रार्थीयागण यह वाद लेकर आई है, जो निराधार कोई हिस्सा घोषित व झुठ है। प्रार्थीयागण वादग्रस्त भूभी मे अपना 4 / 10 या

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कराने का हक, अधिकार नही रखती है, अगर विक्रयपत्र दिनांक 16–07–2010 अवैद्य है तो उसे प्रार्थीयागण सक्षम न्यायालय से अवैद्य घोषित कराये उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई हक, अधिकार मांग सकती है एवं जब तक विरासत का नामान्तरण व बिकावं का नामान्तरण को भी प्रार्थीयागण निरस्त नही कराती है तब तक कोई कानूनी हक, अधिकार वादग्रस्त सम्पत्ति मे पाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त सम्पत्ति मे अपना कोई हक, हिस्सा घोषित कराने की अधिकारीणी नही है एवं न ही विक्रयपत्र दिनांक 16–07–2010 को अवैद्य घोषित कराने का कोई हक, अधिकार रखती है।

6. प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 06 अस्वीकार है। प्रार्थीयागण जब उनके पिता स्व. वदनसिंहजी की मृत्यु हो गई तब से भली प्रकार जानती है कि वादग्रस्त भूमी उनकी माता श्रीमती माता अमृतबाई के नाम है एवं 16–07–2010 को वदनसिंहजी की पुरी सम्पत्ति विपक्षीया संख्या 01 ने क्रय की है ओर उस सौदे मे प्रार्थीयागण शामिल थी तथा विक्रयपत्र सम्पादित करते समय भी प्रार्थीयागण व उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे इसलिये उनके द्वारा यह कथन करना की सन् 2022 मे व 2023 मे प्रार्थीयागण को जाकारी होने की बात निराधार है, प्रार्थीयागण का प्रार्थनापत्र अवधी परे है इसलिये उसे अवधी मे लाने के उद्देश्य से यह झुठ–मुठ की कहानी गढ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, क्योकि सन् 1983 के बाद से आज तक वादग्रस्त भूमी पर प्रार्थीयागण का न तो कोई कब्जा काश्त रहा एव ना ही उन्होने राजस्व लगान या पिलाई जमा कराई तो भूमी उनकी नही होने की जानकारी उन्हे सन् 2022 में होने की बात सरासर निराधार व झुठ है। इसलिये भी प्रार्थनापत्र प्रार्थीयागण खारिज योग्य है।

7. प्रार्थीयागण का वादग्रस्त भूमी मे आज तक कभी भी राजस्व रेकार्ड में नाम नही रहा है. स्व. श्री बदनसिंहजी की मृत्यु बाद इन्तकाल नं. 71 फैसल दिनांक 28–07–1998 को फैसल हुआ जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमी श्रीमती अमृत कुँवर के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई जिसे श्रीमती अमृतकुँवर ने दिनांक 16–07–2010 को भूमी श्रीमती जसुकुँवर को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया जिसके आधार पर म्युटेशन नं. 60 से वादग्रस्त भूमी विपक्षीया जसुकुँवर के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई ओर उसी समय से आज तक बेरोकटोक जसुकुँवर अपनी खरीदशुदा भूमी पर काबिज काश्त है, विक्रय करने के करीब 3–4 साल बाद श्रीमती अमृतकुँवर का स्वर्गवास हो गया उसके बाद भी आज तक कभी भी प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा नही रहा है ओर न ही किसी तरह का कोई कब्जा, काश्त रहा, मौके पर विपक्षीया जसकुँवर ने अपने हिस्से की भूमी पर कच्चा–पक्का पत्थरो का कोट तथा गेट लगा रखा है तथा थुअर की बाड लगा रखी है ओर कुँए पर जसुकुँवर ने विद्युत मोटर का कनेक्शन भी अपने नाम स ले रखा है इसलिये पृथक दृष्ट्या प्रार्थीगण के मुकाबले विपक्षीगण का एक मजबुत दावा है, प्रार्थीगण के पक्ष में कोई दस्तावेजी सबुत स्वामित्व, कब्जा तथा खातेदार होने का नही है, जबकि विपक्षीगण के पास पर्याप्त राजस्व रेकार्ड की नकले तथा अन्य दस्तावेजात है। प्रार्थीगण के मुकाबले विपक्षीगण का एक मजबुत दावा है तथा मौके पर कब्जा है, इसलिये सुविधा सन्तुलन का विन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में है, अगर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके आड में प्रार्थीगण जबरन विपक्षीगण को मौके से बेदखल कर कब्जा ले लेंगे जिससे विपक्षीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही हो पायेगी इसलिये अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के मुकाबले विपक्षीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आधारहिन, बिना किसी दस्तावेज सबुत तथा बिना कब्जे के प्रस्तुत है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का वादपत्र मे वर्णित कृषी भूमी मे किसी तरह का कोई हक, हिस्सा न है न ही प्राप्त करने की

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अधिकारीणी है, प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा या सहायता आदेश प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। अतः जवाब मे प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार एवं विपक्षीगण की बहस उनके जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा उनका 4/10 हिस्सा है, जिसे विपक्षीगण द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक विक्रय पत्र दिनांक 16–07–2010 के माध्यम से हड़प लिया गया है। अतः भूमि पर निर्माण, हस्तांतरण एवं हस्तक्षेप रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाए।

विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का नामांतरण विधिवत वर्ष 1998 में श्रीमती अमृत कुंवर के नाम दर्ज हुआ तथा तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–07–2010 के आधार पर भूमि उनके नाम दर्ज है एवं वे भूमि पर काबिज एवं कृषक हैं। प्रार्थीगण का वाद विलंब से प्रस्तुत किया गया है तथा उनका कोई कब्जा नहीं है।

वादग्रस्त भूमि का नामांतरण वर्ष 1998 से एवं तत्पश्चात वर्ष 2010 के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण के नाम दर्ज है। मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का बरोडा राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 104 कुल किता 38 रकबा 7.67 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 102 कुल किता 01 रकबा 1.73 हैक्टेयर भूमि मे विपक्षी जसुकुंवर का 1/2 हिस्सा दर्ज अंकित है। अभिलेखों के अनुसार यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विपक्षीगण भूमि पर काबिज एवं उपयोग में हैं। प्रार्थीगण द्वारा किया गया दावा मुख्यतः उत्तराधिकार एवं हिस्सेदारी पर आधारित है, जिसका अंतिम निर्धारण साक्ष्य एवं परीक्षण के पश्चात ही संभव है। प्रार्थीगण द्वारा कथित धोखाधड़ी एवं अवैध विक्रय के संबंध में कोई ठोस प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 05/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर